आईआईएमबी में यौन उत्पीड़न मुक्त परिसर के लिए नीति

नीति वक्तव्य

भारतीय प्रबंधन संस्थान, (बैंगलोर) एक परिसर उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है यह लिंग, नस्ल, जाति, पंथ, भेदभाव के बावजूद यौन उत्पीड़न, धर्म, मूल स्थान, यौन रुझान, विकलांगता, या आर्थिक स्थिति से मुक्त है। संस्थान के छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और संस्थान से जुड़े अन्य लोगों के पास मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है, किसी भी प्रकार के भेदभाव और आचरण से उत्पीड़नकारी, जबरदस्ती या विघटनकारी माना जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे व्यवहार जैसा कि इस नीति में परिभाषित है, यह सभी यौन उत्पीड़न के समान है, यह नीति उन व्यक्तियों की सहायता के लिए होगी जो मानते हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है,और इस नीति के द्वारा समर्थन और उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

संस्थान यह सुनिश्चित करता है की वह अपने सदस्य और इससे जुड़े अन्य लोग, यौन उत्पीड़न के अधीन हैं इस विषय में सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रतिबद्ध है और वह इस नीति को लागू करेंगे पूर्ण सीमा तक.

यह नीति भी कानून की आवश्यकताओं को आगे बढ़ाती है – “द सेक्शुअल” कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में इस कानून के लिए बनाए गए नियम (सामूहिक रूप से 'कानून' के रूप में संदर्भित) इसके अलावा, इस नीति के विनियमों, नियमों और अन्य किसी भी प्रावधान के संदर्भ में पढ़ा जाएगा जो की संस्थान की नीतियां में लागू हैं।

मानव मंत्रालय के प्रासंगिक दिशानिर्देश संसाधन विकास, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में इस नीति के कार्यान्वयन में भी इसका उल्लेख किया जा सकता है।

यौन उत्पीड़न क्या होता है**?**

यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछित कृत्य शामिल हैं व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ द्वारा)

(1) शारीरिक संपर्क और प्रगति;
(2) यौन संबंधों की मांग या अनुरोध;
(3) यौन आधारित टिप्पणियाँ करना;
(4) अश्लील साहित्य दिखाना; या
(5) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

इसके अलावा, निम्नलिखित परिस्थितियों में भी यदि ऐसा होता है तो इसे यौन उत्पीड़न माना जा सकता है या यौन उत्पीड़न के किसी अन्य कृत्य के संबंध में मौजूद है।

(1) अधिमान्य उपचार का निहित या स्पष्ट वादा;
(2) हानिकारक उपचार की निहित या स्पष्ट धमकी;
(3) वर्तमान या भविष्य के बारे में निहित या स्पष्ट धमकी;
(4) काम में हस्तक्षेप करना या डराने-धमकाने या आक्रामक या शत्रुतापूर्ण बातें करना पर्यावरण; या
(5) अपमानजनक व्यवहार से स्वास्थ्य या सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना है

परिभाषाएं

'परिसर' का अर्थ वह स्थान या भूमि है जिस पर संस्थान और उससे संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं जैसे की पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, कक्षाएँ, छात्र निवास कक्ष, शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र, कैंटीन, बैंक काउंटर आदि स्थित हैं। इसके अंदर यह भी शामिल होता है। संस्थान के एक सदस्य के रूप में दौरा किए गए दायरे वाले स्थानों में संस्थान से आने-जाने के उद्देश्य से परिवहन भी उपलब्द हैं। बाहर के स्थित स्थान संस्थान जिसमें

क्षेत्र यात्राएं, इंटर्नशिप, अध्ययन दौरे, भ्रमण, अल्पावधि शामिल हैं प्लेसमेंट, शिविरों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान, सांस्कृतिक उत्सव, खेल प्रतियोगिता, ऑनलाइन सत्र, समूह और कार्यक्रम, और ऐसी अन्य गतिविधियाँ जिनमें कोई व्यक्ति भाग ले रहा है संस्थान के किसी कर्मचारी या छात्र की क्षमता भी शामिल है

'निदेशक' संस्थान का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी है।

'संकाय' का अर्थ वह व्यक्ति है जो संस्थान की नियमित और संविदात्मक भूमिका पर है, इसमें ऐसे संकाय जो पूर्णकालिक, अनुबंध, तदर्थ, अंशकालिक, दौरा, सहायक, अतिथि, मानद, या विशेष कर्तव्य या प्रतिनियुक्ति पर शामिल होती है।

'गैर-शिक्षण स्टाफ' में संस्थान का कोई भी कर्मचारी शामिल है, जो शामिल नहीं है संकाय की श्रेणी में

'विद्यार्थी' का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने संस्थान में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रवेश लिया है और अध्ययन के एक कार्यक्रम का अनुसरण कर रहा है,बशर्ते कि व्यक्ति अभी तक संसथान में प्रवेश लेने की प्रक्रिया में हो और अभी तक प्रवेश नहीं मिला हो। इस उद्देश्य के साथ एक छात्र के रूप में जहां यौन उत्पीड़न की कोई घटना होती है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस नीति के द्वारा इलाज किया जाएगा, बशर्ते कि संस्थान का कोई भी छात्र हो या उसकी किसी भी गतिविधि में भागीदारी है इस नीति के प्रयोजन के लिए संस्थान के एक छात्र के रूप में भी माना जाएगा, जहां भी कोई भी व्यक्ति उक्त गतिविधियों में ऐसे छात्र के साथ यौन उत्पीड़न की घटना घटित होती है

दायरा और प्रयोज्यता

संस्थान सभी लिंगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कड़ी निंदा करता है और उस पर रोक लगाता है। यौन उत्पीड़न गैरकानूनी है, और यह नीति सभी छात्रों, संकाय, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और संस्थान और उसके साथ जुड़े या जुड़े व्यक्तियों पर लागू होगी। उनकी स्थिति, प्रकृति और उनकी भागीदारी की अवधि की परवाह किए बिना।

आंतरिक समिति

कानून को आगे बढ़ाने के लिए, संस्थान ने एक आंतरिक समिति ("आईसी") का गठन किया है आगे लिंग संवेदीकरण (उदाहरण के लिए, सभी के लिए नियमित संवेदीकरण कार्यशालाओं के माध्यम से हितधारकों और परिसर में यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करना)। संस्थान समय-समय पर आईसी सदस्यों को जोड़ने, हटाने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

रोकथाम

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिसर 'उत्पीड़न मुक्त' है, एक निवारक उपाय के रूप में, आई.सी सभी हितधारकों के लिए नियमित संवेदीकरण कार्यशालाएँ आयोजित करेगा।

इसके अलावा, आईसी संबंधित कार्यक्रम अध्यक्षों के परामर्श से नियुक्त करेगा, तीन छात्र प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे, जो केवल ऐसे मामलों में सहायता करेंगे जो की छात्रों को शामिल करें. वे यह सुनिश्चित करे की आईसी को उसके राजदूत बनने में भी मदद करेंगे और साथ ही सभी छात्रों के लिए 'उत्पीड़न मुक्त' परिसर घोषित करेंगे (प्रत्येक एक "छात्र सदस्य" और सामूहिक रूप से"छात्र सदस्य")

छात्र सदस्य आईसी की विस्तारित शाखा होंगे और वे कार्रवाई करेंगे जो इससे छात्र समुदाय को लाभ होगा और होने वाले किसी भी यौन उत्पीड़न को रोका जा सकेगा कैंपस। छात्र सदस्यों को कुछ अज्ञात लोगों का पीछा करने के लिए भी अधिकृत किया जा सकता है शिकायतें, जिनमें आईसी की राय है कि उनका हस्तक्षेप विश्वसनीय होगा और साथ ही तथ्य एकत्रित किये जाने हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्र सदस्य भी हस्तक्षेप कर सकते हैं।

1. विशिष्ट छात्रों या पूरे बैच को कोचिंग देने का रूप;
2. प्रोत्साहित करनापीड़ित व्यक्ति को औपचारिक जांच के लिए आईसी को रिपोर्ट करना होगा;
3. संग्रह विश्वसनीय तथ्य पीड़ित व्यक्ति को इसके समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराने में भी सक्षम बनाते हैं

यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करना

आईसी को किसी भी प्रक्रिया पर विचार करने और आरंभ करने के लिए, एक शिकायत प्रस्तुत करनी होगी पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतें लिखित रूप में या ईमेल के माध्यम से की जानी चाहिए, (घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में,अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर)। दोस्त, रिश्तेदार,

सहकर्मी, सह-छात्र, छात्र परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक, संकाय और स्टाफ सदस्य, या पीड़ित व्यक्ति का कोई अन्य सहयोगी केवल ऐसे ही शिकायत दर्ज कर सकता है ऐसी स्थितियाँ जहाँ पीड़ित व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो प्रस्तुत की गई शिकायतें स्पष्ट होनी चाहिए और उनमें घटना(घटनाओं) का विवरण शामिल होना चाहिए। सहायक तथ्य और संबंधित दस्तावेज़, शामिल व्यक्तियों के नाम और गवाहों के पते और विवरण, यदि कोई हों। आईसी समय सीमा बढ़ा सकती है,अतिरिक्त तीन महीने से अधिक नहीं, यदि वह संतुष्ट है कि अपरिहार्य थे ऐसी परिस्थितियाँ जो पीड़ित व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने से रोकती हैं इसलिए, शिकायत जो यौन उत्पीड़न की कथित घटना के 6 महीने से अधिक समय बाद की है हो गई है। आईसी को कानून के तहत किसी पर भी विचार करने से प्रतिबंधित किया गया ह

यदि आपको यौन उत्पीड़न की किसी घटना के बारे में पता चलता है, कृपया शीघ्र सूचित करें आईसी को ताकि वो पीड़ित की शिकायत को सबमिट करने में सभी उचित सहायता प्रदान करे। आईसी के साथ किसी भी पत्राचार के लिए कृपया यहां लिखें : internalcommittee@iimb.ac.in

यदि शिकायतकर्ता है तो शिकायतकर्ता की आवश्यक रूप से सहायता करना भी संस्थान का कर्तव्य है भारतीय दंड संहिता, 1860 ("आईपीसी") के तहत कार्रवाई शुरू करने का विकल्प उपलब्ध है।

समाधान प्रक्रिया

सुलह: आईसी द्वारा शिकायत की जांच शुरू करने से पहले, शिकायतकर्ता ऐसा कर सकता है शिकायतकर्ता और उत्तरदाता के बीच मामले को सुलझाने के लिए आईसी को (लिखित/ईमेल में) अनुरोध करें हालाँकि, कोई मौद्रिक समझौता नहीं किया जाएगा सुलह का आधार. घटना में एक समझौता होगा , और विधिवत दर्ज किया जायेगा आईसी द्वारा, आगे की पूछताछ नहीं की जाएगी।

पूछताछ: यौन उत्पीड़न के सभी दावों की तुरंत और पूरी तरह से जांच की जाएगी आईसी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और कानून के प्रावधानों के अनुसार ।व्यवसायी को आईसी के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने मामले में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए न तो शिकायतकर्ता और न ही प्रतिवादी को कोई कानूनी मामला लाने की अनुमति दी जाएगी।

जांच करने की प्रक्रिया में मोटे तौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

(1) आईसी, वैध शिकायत प्राप्त होने पर, उत्तरदाता को शिकायत की एक प्रति भेजेगी ऐसी प्राप्ति के सात (7) दिनों की अवधि के भीतर

(2) शिकायत की प्राप्ति प्राप्त होने पर उत्तरदाता साथ में उत्तर दाखिल करेगा दस्तावेज़ों की सूची और गवाहों के नाम, पते और विवरण के साथ दस (10) दिन की अवधि के भीतर

(3) जैसा कि कानून द्वारा अनिवार्य है, जांच नब्बे 90) दिन की अवधि के भीतर पूरी करनी होगी शिकायत प्राप्त होने से यदि कोई आईसी सिफारिशों के साथ जांच रिपोर्ट, हो तो उसे जांच पूरी होने के दस (10) दिनों के

भीतर जमा करना होगा निदेशक को निष्कर्षों या सिफारिशों की एक प्रतिवादी उत्तरदाता को भी प्रदान की जाएगी

(4) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निदेशक तीस (30) की अवधि के भीतर आईसी की सिफारिशों पर कार्य करेगा जब तक कि निष्कर्षों के विरुद्ध अपील दायर न की जाए उस समय के भीतर किसी भी पक्ष द्वारा।

(5) तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर सिफ़ारिशों की तारीख से आईसी के निदेशक द्वारा शिकायतकर्ता या उत्तरदाता के खिलाफ निष्कर्षों या सिफारिशों की अपील पहले दायर की जा सकती है

(6) दूसरी ओर यदि आईसी का निदेशक शिकायतकर्ता, और उत्तरदाता के सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निर्णय लेता है फिर उसे दस दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस, का जवाब देना होगा जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना तय है.उचित उत्तर पर विचार करने या पीड़ित व्यक्ति को सुनने के बाद निदेशक का निर्देष आगे बढेगा।

यह सुनिश्चित करने की दिशा में कि यह नीति और इसके प्रावधान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हैं यौन उत्पीड़न से पीड़ित छात्रों का दुरुपयोग न हो, इसके लिए आईसी कोई भी प्रावधान कर सकती है झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के विरुद्ध ऐसी स्थिति में आईसी यह निर्धारित करती है कि शिकायत गलत या दुर्भावनापूर्ण है, या इस कार्यवाही के दौरान गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान की गई थी आईसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी जिसमें रोज़गार की समाप्ति या निष्कासन शामिल है इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मात्र किसी झूठी शिकायत को प्रमाणित करने या पर्याप्त सबूत प्रदान करने में असमर्थता अपने आप में इसका अर्थ दुर्भावनापूर्ण होगा

अंतरिम निवारण

किसी जांच के लंबित होने पर भी, आईसी इस पर विचार कर सकती है संस्थान,के निदेशक शिकायतकर्ता का अनुरोध, कुछ अंतरिम उपायों के लिए भी इसमें शामिल है।

(1) संपर्क या बातचीत में शामिल जोखिमों को कम करने के लिए कोई अन्य अनुभाग या विभाग शिकायतकर्ता या उत्तरदाता प्रतिवादी को स्थानांतरित करें

(2) पीड़ित व्यक्ति को एक अवधि तक स्थिति और लाभ की पूर्ण सुरक्षा के साथ तीन महीने तक छुट्टी प्रदान करें;

(3) प्रतिवादी को कार्य पर रिपोर्ट करने या उसका मूल्यांकन करने से रोकना या शिकायतकर्ता का प्रदर्शन या परीक्षण या परीक्षा;

(4) सुनिश्चित करें कि उत्तरदाता को चेतावनी दी जाती है कि पीड़ित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें और जहां भी आवश्यक या कोई निश्चित खतरा है तो परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी जाये ;

(5) प्रतिशोध के विरुद्ध शिकायतकर्ता को सुरक्षा और संरक्षण का अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सख्त कदम उठाएं और यौन उत्पीड़न की शिकायत करने की तीस दिन की अवधि के भीतर परिणामस्वरूप उत्पीड़न के किसी भी सिफारिश पर कार्रवाई निदेशक द्वारा की जाएगी।

प्रतिशोध से सुरक्षा

संस्थान किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रतिशोध, या उत्पीड़न की मनाही करता है, यदि व्यक्ति ने कोई तो उसके विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है या किसी भी जांच में आईसी के साथ सहयोग किया है, तो उसके विरुद्ध प्रतिशोध और/या उत्पीड़न एक कदाचार माना जाएगा और संस्थान की नीतियां ,विनियमों, नियमों और अन्य के अनुसार जो लागू हों अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गोपनीयता

व्यक्तियों को ऐसा सामना होने पर तुरंत निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है उत्पीड़न या प्रतिशोध। रिपोर्ट की गई सभी घटनाओं/शिकायतों को गंभीरता से, संवेदनशीलता से और अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा गोपनीयता व्यावहारिक रूप से संभव है शिकायत की सामग्री, पहचान और शिकायतकर्ता, प्रतिवादी और गवाहों के पते, संबंधित कोई भी जानकारी सुलह और जांच की कार्यवाही, आईसी की सिफारिशें और की गई कार्रवाई संस्थान को सभी सम्मिलित पक्षों द्वारा गोपनीय माना जाना चाहिए।

सुधारात्मक कार्रवाई

(1) छात्रों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई जहां - उत्तरदाता संस्थान का छात्र है और यौन संबंध का दोषी पाया गया है वहा उत्पीड़न अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है यौन उत्पीड़न के लिए निम्नलिखित दंडों में से कोई एक या संयोजन अवांछित यौन आचरण - (निम्नलिखित सूची संपूर्ण नहीं है)

चेतावनी, फटकार या निंदा।

- सामुदायिक सेवा जैसे लाइब्रेरियन की सहायता करना, परिसर में कूड़े की सफाई करना जैसे फ़ुटबॉल मैदान, कक्षाओं की सफ़ाई आदि।
- किसी भी प्रकार के अनिवार्य सहित सुधारात्मक दंड प्रदान परामर्श करे।
- कुछ सुविधाओं तक पहुंच से इनकार सहित विशेषाधिकारों में कटौती; छात्रवृत्ति से इनकार।
- किसी भी सह-पाठ्यचर्या/पाठ्येतर में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने पर रोक गतिविधियाँ।
- उत्तरदायित्व के किसी भी पद को हटाना या रखने पर रोक।
- संस्थान से निलंबन या निष्कासन।

(2) संकाय/गैर-शिक्षण कर्मचारियों/अन्य कर्मचारियों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई - यदि प्रतिवादी संस्थान का कर्मचारी है और यौन उत्पीड़न संबंध का दोषी पाया गया है तो आईसी यौन उत्पीड़न या अवांछित यौन आचरण के दंड के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या संयोजन की अनुशंसा कर सकता है - (निम्नलिखित सूची संपूर्ण नहीं है)

- चेतावनी, फटकार या निंदा
- किसी भी प्रकार के परामर्श अनिवार्य सहित सुधारात्मक दंड प्रदान करें.
- स्थानान्तरण.
- पाठ्यक्रम प्रशिक्षक बनने, या किसी का मूल्यांकन या प्रशासन करने के लिए अयोग्य घोषित करना कार्यक्रम या पाठ्यक्रम या छात्र संबंधी शैक्षणिक गतिविधियाँ एक निर्धारित अवधि एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं हैं।
- वेतन वृद्धि और पदोन्नति रोक दी गई है।
- निलंबन।
- रोजगार से निष्कासन।

सामान्य

संस्थान के सभी छात्रों, संकाय सदस्यों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की जिम्मेदारी है एक परिपक्व और सम्मानजनक परिसर में योगदान देना। सभी छात्र, संकाय और गैर-शिक्षण कर्मचारी अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा व्यवहार यौन उत्पीड़न नहीं है चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या जानबूझकर किया गया हो अनजाने में।

संस्थान इस नीति के प्रावधानों को संसोधन और संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है संस्थान द्वारा समय-समय पर आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक लागू कानूनी आवश्यकताओं, विनियमों, नियमों और अन्य नीतियों का अनुपालन करने के लिए, जैसा लागू हो, या इस नीति के प्रावधानों को बेहतर बनाने या बदलने की दृष्टि से यदि कोई प्रावधान है इसमें शामिल किसी भी संबंध में अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय पाए जाते हैं शेष प्रावधानों की वैधता, वैधानिकता और प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या ख़राब नहीं होगी।